संलग्नक-3

113

उत्तरांचल शासन
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्या : /43-बा.वि./2002
देहरादून : दिनांक नवम्बर, 2002

अधिसूचना

प्रकीर्ण

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन, उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा न्तर कर सकती है जो आवश्यक व समीचीन हो;

तथा चूंकि उत्तर प्रदेश समन्वित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1992 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य में यथावत् लागू है;

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते है कि उत्तर प्रदेश समन्वित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1992 उत्तरांचल में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेंगा:-

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश समन्वित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1992) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1 संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :-

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश समन्वित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1992) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर ''उत्तरांचल'' पढ़ा जाना :- उत्तर प्रदेश समन्वित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1992 में जहां-जहां शब्द पद ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढा जायेगा।

3. उत्तर प्रदेश समन्वित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1992 के भाग-1 नियम-3 के खण्ड (क) में नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य निदेशक, समेकित बाल विकास सेवा, उत्तरांचल से होगा।

4. उत्तर प्रदेश समन्वित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1992 के भाग-7 के नियम-21 में पद व वेतनमान परिशिष्ट में निम्नानुसार पढे जायेंगे:-

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	मुख्य लिपिक (कार्यालय अधीक्षक)	5	रू0 4500-7000
[illegible]	[illegible] (ज्येष्ठ सहायक)	5	रू0 4500-7000

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
3.	वरिष्ठ लिपिक (ज्येष्ठ लिपिक)	29	रू0 4000-6000
4.	कनिष्ठ लिपिक	101	रू0 3050-4590
5.	आशुलिपिक	1	रू0 4000-6000

5. उत्तर प्रदेश समन्वित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1992 के भाग-4 के नियम-10 में सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष को पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी निर्दिष्ट की जायें।

6. उत्तर प्रदेश समन्वित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1992 के भाग-4 के नियम-8(1) एवं नियम-8(2) निम्नानुसार पढ़े जायेंगे :-

8(1) - आशुलिपिक के पदों हेतु शैक्षिक अर्हता स्नातक होगी एवं इसके अतिरिक्त हिन्दी तथा अंग्रेजी में आशुलेखन एवं टंकण तथा कम्प्यूटर के संचालन की पूर्ण जानकारी (एम.एस. आफिस सहित) अनिवार्य होगी।

8(2) - कनिष्ठ लिपिकों के पदों हेतु उल्लिखित शैक्षिक अर्हताओं के अतिरिक्त हिन्दी में टंकण एवं कम्प्यूटर के संचालन की पूर्ण जानकारी (एम.एस. आफिस सहित) अनिवार्य होगी।

7. उत्तर प्रदेश समन्वित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1992 के भाग-4 के नियम-8 में आशुलिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक के पदों हेतु जिन्होने क्रमशः स्नातक एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जायेगी।

1) उत्तर प्रदेश समन्वित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1992 के भाग-7 का नियम-23 अपसारित समझा जायेगा।

टिप्पणी :- लिपिक वर्ग के समान वेतनमान के सभी पदों पर (निदेशालय एवं जिला स्तर के पदों को मिलाकर) किसी भी कार्मिक की आई.सी.डी.एस. विभाग में कहीं भी तैनाती की जा सकती है। कोई पद विशेष, पदोन्नति अथवा ज्येष्ठता पर आधारित नहीं है।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन)
सचिव

(2)

संलग्नक-4

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-87 के अधीन, उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है जो आवश्यक व समीचीन हो;

तथा चूंकि उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार समूह ''घ'' कर्मचारी सेवा नियमावली, 1992 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-86 के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य में लागू है;

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा-87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते है कि उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार समूह ''घ'' कर्मचारी सेवा नियमावली, 1992 उत्तरांचल में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेंगा:-

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार समूह ''घ'' कर्मचारी सेवा नियमावली, 1992) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :-

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार समूह ''घ'' कर्मचारी सेवा नियमावली, 1992) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2. उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :- उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार समूह ''घ'' कर्मचारी सेवा नियमावली, 1992 में जहां-जहां शब्द पद ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहां शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढा जायेगा।

3. उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार समूह ''घ'' कर्मचारी सेवा नियमावली, 1992 के भाग-1 नियम-3 के खण्ड-क में नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य निदेशक, समेकित बाल विकास सेवा, उत्तरांचल से होगा।

4. उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार समूह ''घ'' कर्मचारी सेवा नियमावली, 1992 के भाग-7 के नियम-19 के उप नियम-2 में पद व वेतनमान परिशिष्ठ में निम्नानुसार पढे जायेंगे:-

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (चपरासी)	62	रू0 2550-3200

5. उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार समूह ''घ'' कर्मचारी सेवा नियमावली, 1992 के भाग-4 के नियम-10 में सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष को पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी निर्दिष्ट की जायें।

(1)

6. उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार समूह ''ग'' कर्मचारी सेवा नियमावली, 1992 के नियम-21 अपसारित समझे जायें।

7. उपान्तरण की सीमा :- उत्तर प्रदेश समन्वित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1992 को उक्त सीमा तक उत्तरांचल राज्य के प्रयोजनार्थ हेतु उपान्तरित किया जाता है।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन)
सचिव